प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला **ए.सी.बी पाली–द्वितीय।** थाना : **ए.सी.बी, सी.पी.एस. जयपुर** वर्ष **2023**
   प्र.इ.रि.सं. 180/2023 दिनांक 10/7/2023
2. धारा : 7ए, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018)
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या 709 समय 7:15 P.M.

   (ब) अपराध के घटने का दिन – सोमवार। दिनांक–27.02.2023 समयः– .....–.....

   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक –26.02.2023 समय.– 03:00 पी.एम.।
4. सूचना किस्म :– लिखित।
5. घटनास्थल :–

   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :– बरूख दक्षिण ब्यूरो चौकी पाली से करीब 20 किमी।

   (ब) पता :– गुन्दोज स्थित काकोसा हाईवे होटल।

   .....बीट सख्या.....–..... जरायमदेही सं...–.....

   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो

   पुलिस थाना .....–.....जिला.....–.....
6. परिवादी /सूचनाकर्ता :–

   (अ) नाम :– श्री नारायण सिंह।

   (ब) पिता/पति का नाम :– प्रताप सिह।

   (स) जन्म तिथि..... 52 वर्ष।

   (द) राष्टीयता,:– भारतीय

   (द) पासपोर्ट सख्या.....–..... जारी होने की तिथि .....–.....

   जारी होने की जगह .....–.....

   (र) व्यवसाय :– प्राईवेट व्यवसाय।

   (ल) पता.:– चांचोडी थाना गुडा ऐन्दला जिला पाली।
7. ज्ञात /अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :–

   1. श्री पप्सा उर्फ पप्पुसिंह उर्फ जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री बंशीलाल जाति राजपुरोहित निवासी ठाकूरला तहसील व जिला पाली हाल मैनेजर काकोसा हाईवे होटल गुन्दोज जिला पाली।
8. (शिकायत/इत्तला देने वाले द्वारा, सूचना देने में देरी का कारण) :– शून्य
9. (चोरी हुई सम्पति का विवरण) (यदि आवश्यक हो तो अलग से पृष्ठ नत्थी करें)
10. चोरी हुई सम्पति का कुल मूल्य :– रिश्वत राशि 40,000 रूपये।
11. (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट) (अप्राकृतिक मृत्यु मामला सं) (यदि कोई हो तो) :–
12. (प्र0सू0रि0 की विषय वस्तु) (यदि आवश्यक हो तो अलग से पृष्ठ नत्थी करे) :–

सेवा मे

श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पाली–द्वितीय।

विषय : रिश्वत लेते रंगे हाथो पकड़वाने बाबत्।

महोदय,

मुझ प्रार्थी श्री नारायण सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह जाति राजपुरोहित निवासी ग्राम चांचोड़ी थाना गुडा ऐन्दला जिला पाली का निवेदन है कि हमारे गांव में एक प्लॉट का विवाद हमारे व श्री मूलसिंह पिता प्रतापसिह राजपुरोहित निवासी चांचोडी के बीच में करीब एक महिने से चल रहा है। मूलसिंह के पुत्र श्री विक्रम नें इस प्लॉट को हड़पने की नियत से मेरे, मेरे परिचित श्री भीकसिंह, जयसिंह के खिलाफ एक झूठा मुकदमा मारपीट व छेड़छाड़ का गुड़ा एन्दला थाने में दर्ज करा दिया, जो मुकदमा नं. 23/23 है। इस मुकदमें की जांच गुडा एन्दला थाने के श्री राजेन्द्र सिंह ए.एस.आई. द्वारा की जा रही है। कल दिनांक 25.02.2023 को श्री राजेन्द्र सिंह ए.एस.आई. के मोबाईल नं. 9414523035 से मेरे मोबाईल नं. 8905601555 पर फोन आया तथा हम तीनो को उन्होने गुन्दोज स्थित काकोसा हाईवे होटल पर बुलाये। इस पर मैं, भीकसिंह व जयसिंह तीनो इस होटल पर गये जहां पर श्री राजेन्द्र सिंह ए.एस. आई. करीब शाम 07 बजे इस होटल पर आये। उन्होने हम तीनो को मुकदमा नं. 23/23 में गिरफ्तार करने की धमकी दी तो हमने कहा कि हमारी कोई गलती नही है, आप सही जांच कर लो, तो राजेन्द्र सिंह नें कहा कि मै मेरे हिसाब से जांच करूंगा तथा तुम्हे यदि वापस घर जाना है तो इस मुकदमें में मदद के लिये मुझे 50,000 रूपये देने पडेंगे, तो हमनें कहा इतने रूपये हमारे पास नहीं है, तो उन्होने कहा इन रूपयो में सी.आई. साहब का भी हिस्सा होता है। उन्होने रूपये नहीं देने पर अभी उसी समय थाने ले जाने की धमकी दी। मैं डर गया तथा उनको हाथाजोडी कर कहा इतने रूपये हमारे पास नहीं है तो उन्होने कहा कि 40,000 रूपये तो देने पड़ेंगे तथा फोन से मंगाकर कुछ रूपये उसी समय देने के लिये कहा। उन्होने कहा फोन से रूपये मैं जहां कहूं उनको देने है। श्री राजेन्द्र सिंह ए.एस.आई. ने काकोसा हाईवे होटल के मैनेजर को बुलाया तथा उसे कहा कि यह व्यक्ति आपकी होटल के खाते में मेरे रिश्वत के 20,000 रूपये फोन से जमा करायेगा तो होटल के मैनेजर नें काउन्टर पर लगे स्केनर से श्री राजेन्द्र सिंह ए.एस.आई के रिश्वत के रूपये जमा कराने के लिये कहा। इस पर मैंने मेरे मोबाईल फोन नं. 8905601555 से लिंक आई.डी.बी.आई. बैंक के खाते से 20,000 रूपये करीब समय 07:41 पी.एम. दिनांक 25.02.2023 को श्री राजेन्द्र सिंह ए.एस.आई. की मौजूदगी में मेरे गुगल पै से जमा किये, (ट्रान्सफर किये)। मैने कहा अभी मेरे पास इनते ही रूपये है तो श्री राजेन्द्र सिंह जी नें कहा कि परसो सोमवार तक बाकी 20,000 रूपये मैं कहूं वहां दे देना, तो मुकदमा नं. 23/23 में तुम तीनो को गिरफ्तार नहीं करूंगा, यह कहकर हमें रवाना कर दिया।

मैं श्री राजेन्द्र सिंह ए.एस.आई. को कोई रिश्वत नहीं देना चाहता हूं। श्री राजेन्द्र सिंह स्वयं रिश्वत राशि लेते हुए या किसी अन्य को दिलाने पर रंगे हाथो पकड़वाना चाहता हूं। मेरी व श्री राजेन्द्र सिंह की तथा काकोसा हाईवे होटल के मैनेजर से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है तथा इन दोनो से मेरी कोई लेन–देन शेष नहीं है। काकोसा हाईवे होटल के मैनेजर का नाम मै नहीं जानता, उसे देखकर पहचान सकता हूं। रिपोर्ट करता हूं कार्यवाही करें।

भवदीय

नारायण सिंह पुत्र प्रताप सिंह जी
जाति राजपुरोहित, उम्र 52 वर्ष,
निवासी चांचोड़ी, थाना गुड़ा एन्दला,
जिला पाली हाल नमकीन व्यवसाय
निवासी 176/1 चौरावास मिठाखली
गांव ऐलीस ब्रीज, अहमदाबाद। मोबाईल
नं. 8905601555

कार्यवाही पुलिस

श्रीमान् अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा पूछने पर मजीद दरियाफ्त पर श्री नारायणसिंह नें बताया कि हमारे गांव चांचोड़ी में मेरे घर के पास मैंने एक भूखण्ड करीब 01 माह पूर्व श्री भीकसिंह व जयसिंह पुत्रगण श्री जयरूप सिंह राजपुरोहित निवासी चांचोड़ी से रूपये देकर खरीदा तथा इसकी रजिस्ट्री भी कराई। इसके बाद इस भूखण्ड को लेकर श्री मूलसिंह, विक्रमसिंह राजपुरोहित निवासी चांचोड़ी नें स्वामित्व को लेकर विवाद शुरू कर दिया तथा भूखण्ड को अपना बताना शुरू कर इस प्लॉट को हड़पने की नियत से हमें दबाव में लेने के लिये मेरे, प्लॉट के पूर्व स्वामी श्री भीकसिंह व जयसिंह के खिलाफ पुलिस थाना गुड़ा ऐन्दला में श्री मूलसिंह की पत्नि श्रीमति झमकु के साथ छेड़छाड़ करने, मारपीट करने का एक झूठा मुकदमा नं. 23/23 दर्ज करवा दिया, जिसकी जांच पुलिस थाना गुडा एन्दला के श्री राजेन्द्र सिंह ए.एस.आई. द्वारा की जा रही है। श्री राजेन्द्र सिंह ए.एस.आई. को मै, भीकसिंह व जयसिंह रिश्वत राशि नहीं देना चाहते है तथा उसके खिलाफ कार्यवाही करवाना चाहते है। हमनें श्री राजेन्द्र सिंह ए.एस.आई. स्वयं को या उसके बतायेनुसार किसी अन्य व्यक्ति को रिश्वत राशि नहीं दी तो हमें उक्त मुकदमें में झूठा फसा देंगे। परिवादी नें बताया कि श्री राजेन्द्र सिंह ए.एस.आई. गुन्दोज स्थित काकोसा हाईवेट होटल के मैनेजर का अच्छी तरह परिचित है तथा मुझे जानकारी मिली कि काकोसा हाईवे होटल का मैनेजर श्री राजेन्द्र सिंह के लिये रिश्वत लेने की दलाली करता है। काकोसा हाईवे होटल के मैनेजर का नाम मैं नहीं जानता, परन्तु मैं उसके बारे में जानकारी कर आपको बता दूंगा। श्री नारायण सिंह नें यह रिपोर्ट स्वयं द्वारा लिखना एवं रिपोर्ट पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया। स्वयं के आधार कार्ड में लम्बे समय से अहमदाबाद में रहने के कारण पता अहमदाबाद का होना बताया। श्री नारायण सिंह के मोबाईल फोन में 20,000 रूपये रिश्वत राशि के दिनांक 25.02.2023 को काकोसा हाईवे होटल में स्केनर द्वारा ट्रान्सफर करने के बारे में जानकारी हेतु मोबाईल फोन की पेमेन्ट हिस्ट्री को देखा तो दिनांक 25.02.2023 को समय 07:41 पी.एम. पर 20,000 रूपये श्री जितेन्द्र सिंह लाल के नाम भुगतान होना पाया गया। आईन्दा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष इस पेमेन्ट हिस्ट्री का स्क्रीनशॉट प्राप्त किया जायेगा। परिवादी नें अपने मोबाईल फोन नं. 8905601555 को आई.डी.बी.आई. बैंक शाखा आश्रम रोड़ अहमदाबाद के खाता सं. 0130104000084020 से लिंक होना बताया।

परिवादी श्री नारायण सिह की रिपोर्ट में वर्णित तथ्यो व मजीद दरियाफ्त से मामला लोकसेवक द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर रिश्वत राशि की मांग कर प्राप्त करने का पाया जाने से प्रथम दृष्ट्या मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधन) 2018 के तहत होना पाया जाने से कार्यवाही प्रारम्भ कर अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा अग्रिम कार्यवाही हेतु मन् रूपसिंह निरीक्षक पुलिस को उनके कार्यालय कक्ष में बुलाकर उपस्थित परिवादी श्री नारायण सिंह राजपुरोहित एवं मन् निरीक्षक पुलिस का आपस में परिचय करवाया गया तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुतशुदा उक्त रिपोर्ट मय संलग्नक मन् निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर अग्रिम कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस नें परिवादी श्री नारायण सिंह को अपने कार्यालय में लेकर आया तथा उनके द्वारा पेश की गई रिपोर्ट के बारे में आवश्यक पूछताछ की तो उन्होने श्रीमान् अति. पुलिस अधीक्षक महोदय को बताये हालात दोहराये। तत्पश्चात् श्री नारायण सिंह नें बताया कि श्री राजेन्द्र सिंह ए.एस.आई. आज मुझे पुलिस थाना गुडा ऐन्दला में मिल जायेगा तथा वह मेरे से रिश्वत राशि की मांग कर लेगा। इस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा रिश्वत राशि मांग सत्यापन करवाये जाने का निर्णय लिया जाकर श्री दादूदान कानि. 481 को अपने पास बुलाया तथा श्री दादूदान कानि. एवं परिवादी श्री नारायण सिंह का आपस

में परिचय करवाया गया तथा एक–दूसरे के मोबाईल फोन नम्बर का आदान–प्रदान करवाया गया। तत्पश्चात् मन् निरीक्षक पुलिस नें कार्यालय में मौजूद डिजीटल वॉयस रिकार्ड मय मेमोरी कार्ड को निकालकर इसके संचालन की विधि श्री दादूदान कानि. व परिवादी श्री नारायण सिंह को समझाई गई। तत्पश्चात् श्री दादूदान कानि. को ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकार्डर मय मेमोरीकार्ड के स्वीचऑफ शुदा सुपुर्द कर श्री दादूदान कानि. एवं परिवादी को रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही हेतु जरिये परिवादी की कार नं. एम.एच 04 एच. एक्स. 2434 के गुड़ा ऐन्दला की तरफ आवश्यक हिदायत देकर रवाना किया गया।

दिनांक 26.02.2023 को ही सांय श्री दादूदान कानि. एवं परिवादी मय डिजीटल वॉयस रिकार्ड के ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आये तथा श्री दादूदान कानि. नें स्वीचऑफशुदा डिजीटल वॉयस रिकार्ड मन् निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर बताया कि मैं व परिवादी ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर गांव कीरवा पुलिस थाना गुडा ऐन्दला पहुंचे, जहां परिवादी द्वारा श्री राजेन्द्र सिंह ए.एस.आई. की उपस्थिति ज्ञात करने हेतु अपने मोबाईल फोन से उसको फोन किया तो उसने आज जोधपुर की तरफ होना बताया तथा कल मिलने के लिये कहा। जिस पर मैं व परिवादी वहां से पुनः रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आये है। साथ ही उपस्थित परिवादी नें भी श्री दादूदान के बताये गये कथनो की तायद की। परिवादी श्री नारायण सिंह नें मन् निरीक्षक पुलिस को बताया कि श्री राजेन्द्र सिंह ए.एस.आई. मुझे कल स्वयं मिल लेगा या वह रिश्वत राशि को फोन पै या गुगल पै इत्यादि डिजीटल माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति को देने के लिये भी कह सकता है। इसलिये मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा दिनांक 27.02.2023 को स्वयं व ब्यूरो टीम सहित परिवादी के बतायेनुसार उसके गांव या आस–पास उससे मिलकर अग्रिम कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् परिवादी को कार्यवाही में गोपनीयता बरतने की हिदायत कर रवाना किया गया।

दिनांक 27.02.2023 को परिवादी श्री नारायण सिंह की रिपोर्ट पर श्री राजेन्द्र सिंह ए.एस.आई. पुलिस थाना गुड़ा ऐन्दला स्वयं द्वारा या उसके बतायेनुसार किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नगद या फोन पै, गुगल पै इत्यादि के माध्यम से रिश्वत राशि प्राप्त करने की पूर्ण संभावना है। इसलिये स्वतंत्र गवाहान के समक्ष अग्रिम कार्यवाही हेतु परिवादी के बतायेनुसार उससे मिलकर अग्रिम कार्यवाही संपादित की जानी है। अतः अग्रिम कार्यवाही में स्वतंत्र गवाहान की तलबी हेतु श्रीमान् आयुक्त नगर परिषद पाली के नाम तहरीर जारी की जाकर दो कार्मिको की ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थिति प्राप्त की गई। दोनो कार्मिको को मन् निरीक्षक पुलिस नें स्वयं का परिचय देकर उनका परिचय पूछा तो उन्होने अपना परिचय श्री भंवर सिंह पुत्र श्री सुरजपाल सिंह उम्र 45 वर्ष जाति राजपूत पेशा नौकरी निवासी राजेन्द्र नगर पाली हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय नगर परिषद पाली। मोबाईल नं. 77427–44682 एवं श्री भवानी शंकर पुत्र श्री कालीश कुमार शर्मा उम्र 42 वर्ष जाति ब्राम्हण पेशा नौकरी निवासी मकान नं. 68ए, न्यू आनन्द नगर पार्ट–बी, मण्डिया रोड़ पाली हाल फायरमेन कार्यालय नगर परिषद पाली मोबाईल नं. 99501–43798 के रूप में दिया। जिस पर दोनो कार्मिको को परिवादी द्वारा प्रस्तुतशुदा रिपोर्ट व दस्तावेजो का अवलोकन करवाया गया। संतुष्ट होने पर दोनो कार्मिको द्वारा भी परिवादी की रिपोर्ट तथा दस्तावेजात पर हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा दोनो कार्मिको को ब्यूरो द्वारा की जा रही गोपनीय कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाहान रहने हेतु कहने पर उनके द्वारा मौखिक सहमती दी गई। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा दोनो गवाहान को ब्यूरो कार्यालय में ही उपस्थित रहने की हिदायत की गई।

तत्पश्चात् मन् रूपसिंह निरीक्षक पुलिस, श्रीमान् पारस सोनी अति. पुलिस अधीक्षक, श्री दादूदान कानि. नं. 481 मय ब्यूरो का डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड तथा परिवादी की रिपोर्ट एवं दस्तावेजात सहित जरिये प्राईवेट वाहन से ग्राम कीरवा की तरफ

कृपा नहीं

रवाना हुऐ। श्री महेन्द्र कुमार उप अधीक्षक पुलिस महोदय को शेष ब्यूरो जाब्ता के आवश्यकता होने पर संभावित स्थल पर पहुंचने हेतु तैयार रहने का निवेदन किया गया। कुछ समय पश्चात् मन् निरीक्षक पुलिस मय उपरोक्त हमराहियान के ग्राम कीरवा के समीप पहुंच, परिवादी के मोबाईल नं. 8905601555 पर कॉल कर वार्ता की तो परिवादी नें स्वयं को कीरवा पुल से आगे अपने निजी वाहन नं. एम.एच 04 एच.एक्स 2434 में होना बताया। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस मय उपरोक्त हमराहियान के कीरवा पूल के पास पहुंचे जहां परिवादी उसकी उक्त कार में हाजिर मिला। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी से अग्रिम कार्यवाही के बारे में वार्ता की तो परिवादी ने बताया कि श्री राजेन्द्रसिंह एएसआई ने मेरे से मिलने एवं किसी भी तरह की बातचित करने के लिऐ इनकार कर दिया।

परिवादी नें बताया कि आज श्री राजेन्द्र सिंह ए.एस.आई. मेरे से सीधे तौर पर रिश्वत राशि की मांग नहीं करेगा तथा प्राप्त भी नहीं करेगा। काकोसा हाईवे होटल का मैनेजर मेरे से श्री राजेन्द्र सिंह ए.एस.आई. के लिये रिश्वत राशि डिजीटल पेमेन्ट से प्राप्त कर लेगा। साथ ही परिवदी नें बताया कि दिनांक 25.02.2023 को श्री राजेन्द्र सिंह ए.एस.आई. की मौजूदगी में उसके कहेनुसार मेरे से रिश्वत राशि 20,000 रूपये काकोसा हाईवे होटल के स्केनर में पेमेन्ट कराने वाले संचालक को लोग श्री पप्पूसिंह के नाम से जानते है। आज मैं श्री पप्पुसिंह से मेरे खिलाफ दर्ज मुकदमा नं. 23/23 में श्री राजेन्द्र सिंह ए.एस.आई. से मदद कराने के लिये मिलूंगा तो वह मुझे श्री राजेन्द्र सिंह ए.एस.आई. को देने के लिये रिश्वत राशि डिजीटल पेमेन्ट के माध्यम से प्राप्त कर लेगा, या नकद रूपये देने के लिये कहेगा। इस पर मन् निरीक्षक पुलिस नें परिवादी को हिदायत दी कि आज दिनांक को श्री पप्पुसिंह से रिश्वत राशि मांग से सम्बंधित वार्ता करें तथा नगद रिश्वत राशि के लेन–देन हेतु आईन्दा समय लेवे। इस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा रिश्वत राशि मांग सत्यापन करने का निर्णय लिया गया। परिवादी नें बताया कि काकोसा हाईवे होटल यहां से करीब 10–11 किलोमीटर ही आम रोड़ पर स्थित है, वहां मेरे साथ ब्यूरो का कोई जाब्ता चलेगा तो वहां आबादी या अन्य निर्माण नहीं होने के कारण आस–पास खडे रहने पर किसी को शक हो जायेगा। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा यहां से डिजीटल वॉयस रिकार्डर देकर परिवादी को अकेले ही उसकी कार से रवाना करने का निर्णय लिया गया। इस प्रकार परिवादी को भली–भांति समझाया गया कि दलाल श्री पप्पुसिंह से रिश्वत राशि मांग से सम्बंधित वार्ता करें तथा नगद रिश्वत राशि लेन–देन हेतु आईन्दा समय लेवे।

तत्पश्चात् मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी को डिजीटल वॉयस रिकार्डर के संचालन की विधि पुनः समझाई गई। परिवादी नें बताया कि रिश्वत राशि मांग सत्यापन के पश्चात् मैं काकोसा हाईवे होटल से पाली की तरफ मुख्य रोड़ पर कुछ दूरी पर आपको मिलूंगा। तत्पश्चात् आवश्यक हिदायत के साथ डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के स्वीच ऑन कर परिवादी को सुपुर्द कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन कराने हेतु गुन्दोज स्थित काकोसा हाईवे होटल के लिये उसकी कार नं. एम.एच 04 एच.एक्स 2434 से रवाना किया गया। तत्पश्चात् मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान के परिवादी के पीछे–पीछे रवाना हुऐ तथा परिवादी के काकोसा हाईवे होटल के परिसर में पहुंचने पर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान के काकोसा हाईवे होटल के आस–पास ही गोपनीयता बरतते हुए खड़े रहे।

चूंकि परिवादी रिश्वत राशि मांग सत्यापन कराने हेतु गुन्दोज स्थित काकोसा हाईवे होटल में गया हुआ है। अग्रिम कार्यवाही में जाब्ता व स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने के मध्यनजर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा ब्यूरो कार्यालय पाली में मौजूद श्री महेन्द्र कुमार उप अधीक्षक महोदय को मय ट्रेप बॉक्स एवं आवश्यक उपकरणो सहित मय स्वतंत्र गवाहान व जाब्ता के गुन्दोज के आस–पास पहुंचने हेतु निवेदन किया गया। कुछ समय पश्चात् श्री

महेन्द्र कुमार उप अधीक्षक पुलिस, दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री भंवर सिंह एवं भवानी शंकर एवं ब्यूरो जाब्ता श्री चम्पालाल मुख्य आरक्षक, पूनाराम कानि. एवं श्रीमति कौशल्या महिला कानि. के मय ट्रेप बॉक्स व आवश्यक उपकरणो के जरिये सरकारी बोलेरो वाहन के गुन्दोज पहुंचे तथा मन् निरीक्षक पुलिस से संपर्क किया। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा उनको गुन्दोज व कीरवा के बीच गोपनीयता बरतते हुए मौजूद रहने हेतु निवेदन किया गया तथा हमराह अति. पुलिस अधीक्षक महोदय को इमदाद हेतु अन्य जाब्ता को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पाली प्रथम से बुलाने हेतु निवेदन किया।

कुछ समय पश्चात् परिवादी की कार नं. एम.एच 04 एच.एक्स 2434 काकोसा हाईवे होटल गुन्दोज से पाली की तरफ रवाना हुई। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान के परिवादी की उक्त कार के पीछे–पीछे रवाना होकर करीब 05 किलोमीटर आगे आम रोड़ पर पहुंच परिवादी की कार को रूकवाया गया। तत्पश्चात् मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी से डिजीटल वॉयस रिकार्डर प्राप्त कर स्वीच ऑफ कर अपने पास रखा। पूछने पर परिवादी नें बताया कि मैं काकोसा हाईवे होटल पहुंचा जहां होटल मैनेजर श्री पप्पुसिंह मुझे काउन्टर के पास ही उपस्थित मिला। मैंने उससे हमारे विरूद्व दर्ज प्रकरण में मदद करने हेतु रिश्वत राशि के बारे में श्री राजेन्द्र सिंह ए.एस.आई. से वार्ता करने हेतु निवेदन किया तो श्री पप्पुसिंह नें कहा कि तुम्हारे विरूद्व दर्ज मुकदमें में एफ.आर. लगाने के लिये मेरी श्री राजेन्द्र सिंह ए.एस.आई. से बात हो गयी है। मैंने रिश्वत राशि श्री राजेन्द्र सिंह ए.एस.आई. को एफ. आर. लगाने के लिये दे दी है। अब तुम्हे तो मुझे शेष रूपये देने है, जो होटल में मौजूद क्यू. आर. स्केनर कोड से देने के लिये ईशारा किया। इस पर मैंने श्री पप्पुसिंह के कहने पर मेरे मोबाईल फोन से 20,000 रूपये का होटल के क्यू.आर. कोड पर डिजीटल पेमेन्ट किया। मैंने श्री पप्पुसिंह को रिश्वत राशि प्राप्त करने के बारे में श्री राजेन्द्र सिंह ए.एस.आई. से मोबाईल फोन से बात करने के लिये कई बार निवेदन किया, परन्तु श्री पप्पुसिंह ने वार्ता नहीं की। परिवादी द्वारा श्री पप्पुसिंह के कहने पर रिश्वत राशि का संपूर्ण भुगतान डिजीटल माध्यम से करना बताया। श्री नारायण सिंह के मोबाईल फोन में 20,000 रूपये रिश्वत राशि के दिनांक 27.02.2023 को काकोसा हाईवे होटल में स्केनर द्वारा ट्रान्सफर करने के बारे में जानकारी हेतु मोबाईल फोन की पेमेन्ट हिस्ट्री को देखा तो दिनांक 27.02.2023 को समय 01:54 पी.एम. पर 20,000 रूपये श्री जितेन्द्र सिंह लाल के नाम भुगतान होना पाया गया। आईन्दा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष इस पेमेन्ट हिस्ट्री का स्क्रीनशॉट प्राप्त किया जायेगा।

मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा डिजीटल वॉयस रिकार्डर में परिवादी श्री नारायण सिंह व श्री पप्पुसिंह की रिकार्ड वार्ता को डिजीटल वॉयस रिकार्डर ऑन कर सुना गया तो हाईवे पर वाहनो के आवागमन के कारण शौर होने के कारण स्पष्ट सुनायी नहीं दिया। जिस पर हाईवे के आस पास बैठने, कम्प्युटर चलाने इत्यादि की सुविधा नही होने, गोपनीयता भंग होने की संभावना के मध्यनजर रिकार्ड वार्ता को सुनने हेतु ब्यूरो कार्यालय पाली पहुचने का निर्णय लिया जाकर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान एवं परिवादी जरिये प्राईवेट वाहन व परिवादी के वाहन से ब्यूरो कार्यालय पाली के लिये रवाना हुऐ। साथ ही गुन्दोज के पास मौजूद श्री महेन्द्र कुमार उप अधीक्षक पुलिस को भी मय हमराहियान के ब्यूरो कार्यालय पाली पहुचने हेतु निवेदन किया गया।

कुछ समय पशचात् मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान, परिवादी के तथा श्री महेन्द्र कुमार उप अधीक्षक पुलिस, दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो जाब्ता के मय वाहनो के ब्यूरो कार्यालय पाली पहुचे। मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री भंवरसिंह व भवानी शंकर का परिचय कार्यालय में उपस्थित परिवादी श्री नारायण सिंह से करवाया गया। दोनो गवाहान से परिवादी श्री नारायण सिंह से रिपोर्ट के बारे में जानकारी प्राप्त की। परिवादी

रिपोर्ट

श्री नारायण सिंह व गुन्दोज स्थित कासोसा हाईवे होटल के मैनेजर श्री पप्पुसिंह के मध्य हुई वार्ता, जो ब्यूरो के डिजीटल वॉयस रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड है, को ब्यूरो के लेपटॉप से कनेक्ट कर वार्ता को भली भांति सुना गया तो परिवादी द्वारा पूर्व में बताये गये तथ्यो की पुष्टि हुई। रिश्वत राशि होटल मैनेजर श्री पप्पुसिंह के कहेनुसार परिवादी श्री नारायण सिंह द्वारा डिजीटल माध्यम से दिये जाने पुष्टि हुई है तथा रिकॉर्डिंग वार्ताओ में भी रिश्वत राशि लेन–देन से सम्बंधित वार्ताऐ स्पष्ट है। रिकार्ड वार्ता की फर्द ट्रान्स्क्रीप्ट आईन्दा मूर्तिब करने का निर्णय लिया गया। परिवादी श्री नारायण सिंह नें मन् निरीक्षक पुलिस को बताया कि मैंने आज भी काकोसा हाईवे होटल के मैनेजर श्री पप्पुसिंह के कहेनुसार श्री राजेन्द्र सिंह ए.एस. आई. को रिश्वत में देने के लिये होटल के क्यू.आर. स्केनर पर मेरे मोबाईल फोन से 20,000 रूपये डिजीटल पैमेन्ट किया, परन्तु मेरे द्वारा निवेदन करने के बावजूद श्री पप्पुसिंह नें उस समय श्री राजेन्द्र सिंह ए.एस.आई. से मेरे से रूपये प्राप्त करने के कम में कोई वार्ता नहीं की। मुझे अब विश्वास है कि मै शाम के समय पुनः श्री पप्पुसिंह से जाकर मिलूंगा तथा मेरे से श्री राजेन्द्र सिंह ए.एस.आई. के लिये आज प्राप्त की गई राशि 20,000 तथा दिनांक 25.02.2023 को प्राप्त किये गये 20,000 रूपये कुल 40,000 रूपये की रिश्वत राशि के बारे में वह अवश्य ही अपने मोबाईल फोन से वार्ता कर लेगा। जिस पर परिवादी द्वारा डिजीटल माध्यम से श्री राजेन्द्र सिंह ए.एस.आई. के लिये दी गई रिश्वत राशि के बारे में स्पष्ट वार्ता रिकार्ड करने हेतु परिवादी को एक बार पुनः श्री पप्पुसिंह के बात करने हेतु गुन्दोज स्थित काकोसा हाईवे होटल पर भेजने का निर्णय लिया गया। दिनांक 27.02.2023 को परिवादी द्वारा श्री पप्पुसिंह के कहेनुसार काकोसा हाईवे होटल पर लगे स्केनर में 20,000 रूपये रिश्वत राशि का भुगतान किया गया, तो परिवादी नें श्री राजेन्द्र सिंह ए.एस.आई. से वार्ता करने के लिये श्री पप्पुसिंह को कई बार कहा, परन्तु उसके द्वारा वार्ता नही करने के कारण श्री राजेन्द्र सिंह ए.एस.आई. की भूमिका स्पष्ट करने हेतु ही परिवादी श्री नारायण सिंह को पुनः काकोसा हाईवे होटल पर श्री पप्पुसिंह दलाल के पास भेजने का निर्णय लिया गया। मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अब तक की कार्यवाही के समस्त हालात श्रीमान् अति. पुलिस अधीक्षक को निवेदन किये। इसी दौरान ब्यूरो कार्यालय पाली–प्रथम से श्री लक्ष्मणदान मुख्य आरक्षक नं. 72, श्री धर्माराम कानि. 400 कार्यवाही में सहयोग हेतु ब्यूरो कार्यालय पाली–द्वितीय पर हाजिर आये।

तत्पश्चात् मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा श्री दादूदान कानि. को ब्यूरो का डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड सुपुर्द कर आवश्यक हिदायत देकर उनके साथ परिवादी को उसकी कार से गुन्दोज स्थित काकोसा हाईवे होटल के लिये रवाना किया। साथ ही दोनो स्वतंत्र गवाहान को कार्यवाही में गोपनीयता बरतने की हिदायत कर दिनांक 28.02.2023 को ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आने की हिदायत कर रवाना किया गया।

दिनांक 27.02.2023 को ही सांय श्री दादूदान कानि. एवं परिवादी श्री नारायण सिह ब्यूरो कार्यालय पाली में उपस्थित आये तथा श्री दादूदान कानि. नें स्वीचऑफशुदा डिजीटल वॉयस रिकार्डर मन् निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर बताया कि मै व परिवादी उसकी कार से ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर गुन्दोज स्थित काकोसा हाईवे होटल के पास पहुंचे, जहां हल्का हल्का अंधेरा होने से मैंने डिजीटल वॉयस रिकार्डर ऑन कर परिवादी को सुपुर्द कर होटल के लिये रवाना किया तथा मैं एकान्त में अपनी उपस्थिति छुपाते हुए खड़ा रहा। करीब आधा घंटा के पश्चात परिवादी मेरे पास उपस्थित आया, जिससे मैंने डिजीटल वॉयस रिकार्डर प्राप्त कर स्वीच ऑफ कर अपने पास रखा। तत्पश्चात् मैं एवं परिवादी वहां से रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आये है। उपस्थित परिवादी नें मन् निरीक्षक पुलिस को बताया कि डिजीटल वॉयस रिकार्डर लेकर मैं काकोसा हाईवे होटल में गया एवं श्री पप्पुसिंह से मिला एवं उससे मेरे द्वारा दिनांक 25.02.2023 एवं दिनांक 27.02.2023 को डिजीटल माध्यम से दी गई राशि 40,000 रूपये रिश्वत राशि के बारे में श्री राजेन्द्र सिंह ए.एस.आई. से वार्ता

करने के लिये कहा तो श्री पप्पु सिंह नें बातचीत के दौरान हमारे विरूद्व दर्ज मुकदमें में श्री राजेन्द्र सिंह ए.एस.आई. से एफ.आर. लगाने के लिये 40,000 रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करने के बारे में पहले मेरे द्वारा श्री जयसिंह के मोबाईल नम्बर 7900083782 देने पर श्री पप्पुसिंह नें श्री जयसिंह से अपने फोन से स्पीकर ऑन कर वार्ता की तथा मेरे द्वारा निवेदन करने पर श्री पप्पुसिंह नें अपने फोन का स्पीकर ऑन कर श्री राजेन्द्र सिंह ए.एस.आई. से रिश्वत राशि प्राप्त करने व हमारे विरूद्व दर्ज मुकदमे में एफ.आर. लगाने के बारे में बात की तो श्री राजेन्द्र सिंह नें कहा कि नारायण सिंह को कहो कि निश्चिंत हो जाओ। इस प्रकार रिश्वत राशि प्राप्ति के बारे में श्री राजेन्द्र सिंह ए.एस.आई. के द्वारा पुष्टि की गई। परिवादी नें बताया कि श्री पप्पुसिंह नें उसे कहा मेरे, जयसिंह व भीकसिंह के विरूद्व दर्ज मुकदमें में मदद करने के लिये तुम्हारे से तय की गई संपूर्ण 40,000 रूपये रिश्वत राशि परसो ही मेरे द्वारा श्री राजेन्द्र सिंह ए.एस.आई. को दी जा चुकी है। इस प्रकार परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यो से रिश्वत राशि से सम्बंधित लेन–देन बकाया नहीं होना पाया गया तथा श्री पप्पुसिंह के बतायेनुसार श्री राजेन्द्र सिंह ए.एस.आई. द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त की जा चुकी है।

जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा डिजीटल वॉयस रिकार्डर को ब्यूरो के लेपटॉप से कनेक्ट कर रिकार्ड वार्ता को सुना गया तो परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यो की पुष्टि हुई। आईन्दा उक्त रिकार्ड वार्ता की फर्द ट्रान्सक्रीप्ट मूर्तिब करने का निर्णय लिया गया। परिवादी नें बताया कि आज मैं थक चुका हूं। अतः अग्रिम कार्यवाही आईन्दा करने का निर्णय लिया। मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अब तक की कार्यवाही के समस्त हालात श्रीमान् अति. पुलिस अधीक्षक को निवेदन किये गये। तत्पश्चात् परिवादी को कार्यवाही में गोपनीयता बरतने की आवश्यक हिदायत कर दिनांक 28.02.2023 को 10:30 ए.एम. पर ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आने की हिदायत कर रवाना किया गया।

इस प्रकार परिवादी श्री नारायण सिंह को दिनांक 27.02.2023 की सांय को पुनः दलाल श्री पप्पुसिंह के पास भेजा तो दलाल श्री पप्पुसिंह नें परिवादी की मौजूदगी में श्री राजेन्द्र सिंह ए.एस.आई. से अपने मोबाईल फोन का स्पीकर ऑन कर रिश्वत राशि प्राप्त होने व परिवादी की विरूद्व दर्ज प्रकरण में एफ.आर. लगाने के बारे में बात की तो श्री राजेन्द्र सिंह नें कहा कि श्री नारायण सिंह को कहा कि निश्चिन्त हो जावे। इस प्रकार श्री राजेन्द्र सिंह ए. एस.आई. द्वारा एफ.आर. लगाने की पुष्ठि की गई तथा दलाल श्री पप्पुसिंह नें भी कहा कि परिवादी व श्री जयसिंह व भीकसिंह के विरूद्व दर्ज प्रकरण में मदद करने के लिये तय की गई 40,000 रूपये रिश्वत राशि परसो ही मेरे द्वारा श्री राजेन्द्र सिंह को दी जा चुकी है। इस प्रकार प्रकरण में श्री राजेन्द्र सिंह ए.एस.आई. की रिश्वत राशि के लेन–देन में संलिप्तता पायी गई। यह मध्यस्थ दलाल श्री पप्पुसिंह ही था, जो परिवादी को काकोसा हाईवेट होटल पर मिला था।

दिनांक 28.02.2023 को पाबन्दशुदा परिवादी श्री नारायण सिंह एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आये। तत्पश्चात् दोनो स्वतंत्र गवाहान के रूबरू परिवादी श्री नारायण सिंह के मोबाईल फोन से काकोसा हाईवे होटल के क्यू.आर. कोड स्केनर पर दिनांक 25.02.2023 एवं दिनांक 27.02.2023 को किये गये डिजीटल पेमेन्ट के विवरण का स्क्रीनशॉट प्राप्त कर फर्द मूर्तिब की गई तथा फर्द पर तथा स्क्रीनशॉट पर सम्बंधितगणो हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। परिवादी श्री नारायण सिंह द्वारा अपने मोबाइल फोन से काकोसा हाईवे होटल पर लगे स्केनर पर रिश्वती राशि ट्रांसफर की गई। परिवादी का मोबाईल फोन नं. 8905601555 को आई.डी.बी.आई. बैंक शाखा आश्रम रोड़ अहमदाबाद के खाता सं. 0130104000084020 से लिंक होना बताया तथा रिश्वत राशि का भुगतान स्कैनर से करने पर उसका मोबाइल फोन से स्क्रीनशॉट प्राप्त करने पर श्री जितेन्द्र

सिंह लाल का नाम आया। चूकिं रिश्वत राशि का भुगतान परिवादी के बैंक खाते से हुआ था। इसमें किसी भी तरह की छेडछाड संभव नहीं है। परिवादी श्री नारायण सिंह नें अपने द्वारा श्री भीकसिंह व जयसिंह से गांव चांचोड़ी तहसील रानी जिला पाली स्थित भूखण्ड खरीदने के दस्तावेज दिनांक 19.01.2023 की रजिस्ट्री, भूखण्ड के पट्टे की फोटोप्रतियां स्वयं के हस्ताक्षरित पेश की, जिस पर भी स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये।

तत्पश्चात् डिजीटल वॉयस रिकार्डर में लगे मेमोरी कार्ड में रिश्वत राशि मांग सत्यापन, मांग सत्यापन के वक्त हुऐ लेन–देन व लेन–देन के पश्चात् रिश्वत राशि की पुष्टि के बारे में परिवादी श्री नारायण सिंह व दलाल श्री पप्पुसिंह के मध्य हुई वार्तालाप व श्री पप्पुसिंह की जयसिंह से व श्री राजेन्द्र सिंह ए.एस.आई. से मोबाईल फोन पर हुई रिकार्डशुदा वार्ताओ की लेपटॉप के माध्यम से ट्रास्क्रीप्ट श्री धर्माराम कानि. नं. 400 को परिवादी एवं गवाहान की उपस्थिति में तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया, लेकिन रिकार्डशुदा वार्ताओ की ट्रान्सक्रीप्ट पूर्ण नहीं होने व परिवादी के कहेनुसार ट्रान्स्क्रीप्ट कल तैयार किया जाना तय कर परिवादी व गवाहान को दिनांक 01.03.2023 को कार्यालय में 11:00 एएम पर उपस्थित होने की हिदायत कर रवाना किया गया।

दिनांक 01.03.2023 को पाबन्दशुदा परिवादी एवं दोनो गवाहान ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आये। जिस पर मांग सत्यापन एवं रिश्वत राशि लेन–देन से सम्बंधित तथा रिश्वत राशि लेन–देन की पुष्टि की वार्ताओ की ट्रान्स्क्रीप्ट श्री धर्माराम कानि. 400 द्वारा तैयार की जा चुकी है, जिसकी फर्द ट्रान्सक्रीप्ट परिवादी श्री नारायण सिह एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में तैयार करना प्रारम्भ किया गया, जो वक्त 06:15 पी.एम तक पूर्ण की गई। तत्पश्चात् डिजीटल वॉयस रिकार्ड में लगे उक्त मेमोरी कार्ड मूल ही डिजीटल वॉयस रिकार्डर से सुरक्षित हालत में निकालकर रूबरू मौतबिरान कागज के छोटे लिफाफे में रखकर लिफाफे को कपडे की थैली में डालकर थैली को शिल्ड मेाहर कर थैली पर सम्बंधितगणो के हस्ताक्षर करवाये गये। मेमोरी कार्ड का सीलशुदा पेकेट व वार्ताओ के दो पेन ड्राईव खुली हालत में मालखाना प्रभारी श्री चम्पालाल मुख्य आरक्षक नं. 100 को सुपुर्द किये गये। तत्पश्चात् परिवादी एवं दोनो गवाहान को जाने की ईजाजत दी गई।

परिवादी के द्वारा रिपोर्ट पेश करने से पूर्व ही 20000 रूपये रिश्वत राशि का भुगतान काकोसा हाईवे होटल में लगे स्केनर में करना बताया। परिवादी द्वारा दिनांक 26.02.2023 को रिपोर्ट पेश करते ही रिश्वत राशि मांग सत्यापन श्री राजेन्द्र सिंह ए.एस.आई. से कराने हेतु कार्यवाही प्रारम्भ कर परिवादी को मय जाब्ता डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर देकर गुडा एन्दला तरफ रवाना किया था, जहां श्री राजेन्द्र सिंह ए.एस.आई. ने बाहर होना बताया तथा दिनांक 27.02.2023 को मिलना बताया। दिनांक 27.02.2023 को परिवादी से संपर्क कर राजेन्द्र सिंह ए.एस.आई. से रिश्वत राशि की मांग सत्यापन हेतु मिलने के लिए कहां तो बताया कि उसने मिलने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। इसलिए परिवादी को राजेन्द्र सिंह ए.एस.आई. के पास भेजना प्रकरण के लिए हितबद्व नहीं था। परिवादी राजेन्द्र सिंह ए.एस.आई. के दलाल श्री पप्पूसिंह से काकोसा हाईवे होटल पर गुन्दोज जाकर मिला तो श्री पप्पूसिंह ने उसके प्रकरण में एफ.आर. लगना बताया जिस पर दलाल के कहने पर परिवादी ने 20000 रूपये ऑनलाईन होटल में लगे स्कैनर में ट्रांसफर कर दिए। दिनांक 27.02.2023 के समय 01:05 पीएम पर मुर्तिब किए गये रनिंग नोट से स्पष्ट है कि मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी को हिदायत दी कि आज श्री पप्पूसिंह से रिश्वत राशि मांग से संबंधित वार्ता करें तथा नकद रिश्वत राशि लेन–देन हेतु आईदा समय लेवे परन्तु परिवादी ने अपने स्तर पर ही रिश्वत राशि का भुगतान अपने मोबाईल फोन से ऑनलाईन कर दिया।

काकोसा होटल के मैनेजर श्री पप्पुसिंह ही श्री जितेन्द्रसिंह लाल है तथा इसी के पेटीएम स्केनर पर परिवादी द्वारा रिश्वत राशि अपने खाते से हस्तान्तरण की गई थी। दलाल श्री पप्पुसिंह के नाम के तस्दीक के सम्बंध में दस्तावेजात प्राप्त किये गये तो श्री पप्सा उर्फ पप्पुसिंह का मूल नाम श्री जितेन्द्रसिह पुत्र स्व. श्री बंशीलाल जाति राजपुरोहित निवासी ठाकूरला, तहसील पाली जिला पाली होना पाया गया।

इस सम्बंध में परिवादी के आई.डी.बी.आई. बैंक शाखा आश्रम रोड़ अहमदाबाद के खाता सं. 0130104000084020 के दस्तावेज प्राप्त किये तो उक्त खाता संख्या से दिनांक 25.02.2023 को यूपीआई 305699644265 द्वारा 20,000 रूपये व दिनांक 27.02.2023 को यूपीआई नम्बर 305845703325 द्वारा 20,000 रूपये हस्तान्तारण किये गये। यह रूपये श्री जितेन्द्रसिंह लाल के नाम पेटीएम खाता संख्या 19744201000007 में जमा होना पाया गया। काकोसा हाईवे होटल गुन्दोज पर बैठने वाला पप्पुसिंह का नाम ही जितेन्द्रसिंह है।

परिवादी के विरूद्ध पुलिस थाना गुडा ऐन्दला जिला दर्ज प्रकरण संख्या 23/2023 मे अनुसंधान अधिकारी श्री राजेन्द्रसिह एएसआई था जिसने रिश्वत राशि 40.000/–रूपये का लेन–देन होने के पश्चात् प्रकरण में नतीजा एफआर नं. 01/2023 दिनांक 03.03.2023 को (अदम वकु) झुठा में दिया गया।

इस प्रकार प्रकरण में सम्पादित की गई कार्यवाही से उजागर हुऐ साक्ष्यों की विवेचना से पाया गया कि परिवादी श्री नारायणसिंह व अन्य के विरूद्ध पुलिस थाना गुडाएन्दला, जिला पाली में दर्ज प्रकरण संख्या 23/2023 में एफ.आर. लगाने की एवज में रिश्वत राशि के 20,000 रूपये परिवादी से परिवादी द्वारा एसीबी में रिपोर्ट देने से पूर्व दलाल श्री पप्पुसिंह के स्केनर पर फोन से भुगतान करवाये गये। तत्पश्चात परिवादी द्वारा रिश्वत राशि मांग की ब्यूरो चौकी पाली–II पर शिकायत की गई तथा परिवादी ने बताया कि आरोपी श्री राजेन्द्रसिंह ए.एस.आई. पुलिस थाना गुड़ा ऐन्दला जिला पाली सीधे तौर पर रिश्वत राशि की मांग नहीं करेगा तथा न हीं उससे सीधे तौर पर रिश्वत राशि प्राप्त करेगा। श्री राजेन्द्रसिंह एएसआई रिश्वत राशि की दलाल श्री पप्पुसिंह काकोसा हाईवे होटल के माध्यम से ही मांग करेगा तथा उसी के माध्यम से ही रिशवत राशि प्राप्त करेगा। परिवादी के बताऐ तथ्यों के कम में रिश्वत राशि का सत्यापन करवाया गया तो दलाल श्री पप्पुसिंह ने रिश्वत राशि की मांग करते हुऐ रिश्वत राशि श्री राजेन्द्रसिंह एएसआई को पहले से ही अपने स्तर पर दे दिये जाने की बात कही। उसी राशि की परिवादी से मांग की गई, जो उसने अपने काकोसा हाईवे होटल पर लगे स्केनर पर परिवादी से प्राप्त किये। दौराने सत्यापन ही दलाल श्री पप्पुसिंह ने परिवादी के मुकदमें में एफ0आर0 लगाने के सम्बंध में वार्ता की। सत्यापन वार्ताओं से दलाल श्री पप्पुसिंह द्वारा श्री राजेन्द्रसिंह एएसआई के लिऐ रिश्वत राशि प्राप्त करने में मध्यस्थता करना स्पष्ट प्रकट होना पाया गया तथा दौराने मांग सत्यापन दलाल श्री पप्पुसिंह ने राजेन्द्रसिंह एएसआई से फोन पर भी वार्ता कर परिवादी के जाने के बारे में एवं परिवादी के कार्य करने के बारे सहमति दी गई। दलाल श्री पप्सा उर्फ पप्पुसिंह उर्फ जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री बंशीलाल जाति राजपुरोहित निवासी ठाकूरला तहसील व जिला पाली हाल मैनेजर काकोसा हाईवे होटल गुन्दोज जिला पाली द्वारा परिवादी से 40,000 रूपये रिश्वत राशि उसके मोबाईल फोन से अपनी काकोसा हाईवे होटल पर लगे स्केनर के माध्यम से प्राप्त किये है, जो धारा 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध है।

प्रकरण में श्री राजेन्द्र सिंह ए.एस.आई. पुलिस थाना गुड़ा ऐन्दला जिला पाली के इस रिश्वत राशि के मामले में संलिप्तता व भूमिका बाबत् अनुसंघान से पूर्ण स्थिति स्पष्ट होगी।

अतः आरोपी दलाल श्री पप्सा उर्फ पप्पुसिंह उर्फ श्री जितेन्द्रसिंह पुत्र श्री बंशीलाल, जाति राजपुरोहित, निवासी ठाकूरला, तहसील व जिला पाली हाल मैनेजर काकोसा हाईवे होटल गुन्दोज के विरूद्व धारा 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशाधित) 2018 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की जाकर कमांकन हेतु सादर प्रेषित है।

(रूपसिंह)
निरीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
पाली–द्वितीय

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री रूपसिंह, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पाली द्वितीय ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री पप्पा उर्फ पप्पुसिंह उर्फ जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री बंशीलाल, निवासी ठाकूरला, तहसील व जिला पाली हाल मैनेजर, काकोसा हाईवे होटल गुन्दोजा, जिला पाली के विरूद्ध अपराध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 180/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

(रणधीर सिंह)
उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांकः- 2262-63 दिनांक 10.07.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, पाली।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
3. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पाली-द्वितीय।

उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।